

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	कार्तिक 24, मंगलवार, शाके 1938—नवम्बर 15, 2016 <i>Kartika 24, Tuesday, Saka 1938—November 15, 2016</i>	

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 15, 2016

एस.ओ.101 :—राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्र और राज्य सरकार की सामाजिक—आर्थिक नीतियों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय—समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ डी/जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 1 के स्तंभ 2 की मद (ख) के सामने स्तंभ 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान स्किल एण्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कारपोरेशन (आर.एस.एल.डी.सी.)” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राजस्थान स्किल एण्ड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (आर.एस.एल.डी.सी.), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी (एन.आई.एफ.टी.), फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफ.डी.डी.आई.) और सेंटर फोर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेन्ट (सी.ई.एस.बी.एम.)” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

**FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, November 15, 2016

S.O.101 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendments in this department's notification number F. 1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification, in column 3 against item (b) of column 2 of serial number 1, for the existing expression "Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC)", the expression "Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC), National Institute of Fashion Technology (NIFT), Footwear Design and Development Institute (FDDI) and Centre for Entrepreneurship and Small Business Management (CESBM)" shall be substituted.

[No. F.1(8)/FD/GF&AR/2011]

By Order of the Governor,

Naveen Mahajan,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.